**न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय**
**अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल**

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 662/2026
सुपौल थाना कांड सं0– 814/2024

**दिनांकः– 04/06/2026**

प्रार्थी अभियुक्तगण 1. अब्दुल अहद उर्फ मो0 अहद 2. रियाज हसल उर्फ लालू यादव की ओर से सुपौल थाना कांड सं0 814/2024 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन आज सुनवाई हेतु निर्धारित है। इसी दरम्यान आज प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना की गयी कि उक्त प्रार्थी अभियुक्तगण को अनुसंधानकर्ता द्वारा धारा 35(3) B.N.S.S का लाभ देते हुए अंतर्गत बंधपत्र पर मुक्त किया जा चुका है, जिस कारण अभियुक्तगण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन वापस करने की कृपा की जाय।

अभियोजन की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। सुना। चूकि प्रार्थी अभियुक्तगण को अनुसंधानकर्ता द्वारा धारा 35(3) B.N.S.S का लाभ देते हुए अंतर्गत बंधपत्र पर मुक्त किया जा चुका है, इसलिए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन औचित्यहीन हो चुका है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर और प्रार्थी अभियुक्तगण के निवेदन पर प्रार्थी अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार–तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय
सुपौल